

डिग्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. पवन कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 7 सीडीआर हाल बचेर तहसील रानियां
जिला सिरसा हरि०।

वादी

बनाम्

1. कालूराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी 7 सीडीआर हाल बचेर तहसील रानियां
जिला सिरसा।

2. कलावती पत्नी गणेशाराम पुत्री चानणराम जाति जाट निवासी 3 केएसपी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. लीलादेवी पत्नी ईश्वर पुत्री कालूराम } जाति जाट निवासी बकरियां वाली तहसील

4. पाना पत्नी परसाराम पुत्री कालूराम } चोपटा तहसील व जिला सिरसा।

5. सुमन पत्नी राजवीर पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 7 सीडीआर के खाता सं० 18/18 में कुल 1.771 है० तथा प्रतिवादीयासं० 2 के नाम से चकनं० 7 सीडीआर के खाता सं० 156/135 कुल 4.807 है० मे से .253 है० कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 7 सीडीआर के खाता सं० 18/18 मे से कालूराम व इसी चक के खाता सं० 156/135 में से कलावती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 26.9.2018
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....26.9.2018को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी